**प्रकरण संख्या 12/2018 लोगर व अन्य बनाम पता के बजाय हकरा व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.07.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दादा हरजी पिता टीला भील के संयुक्त आधिपत्य की खाता संख्या 69 के साबिक आराजी नंबर 206/3 रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा, जिसके हाल आराजियात कुल किता 51 रकबा 3.8150 हैक्टर हैं, ग्राम मादा, तहसील गोगुन्दा में स्थित हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हरजी के वारिसान होकर उनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। हरजी की मृत्यु पर उक्त आराजियात नोजा व अम्बावा के नाम दर्ज होनी चाजिए थी, किन्तु नोजा फोत हो जाने के कारण उसके एक मात्र पुत्र पता जो वादी है, के खाते दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु अम्बावा ने गलत तरीके से सम्पूर्ण आराजियात अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवा ली, जबकि उक्त आराजियात में वादी का भी 1/4 हिस्सा होकर मालिक काबिज है। अतः उपरोक्त आराजियात का 1/4 हिस्से का वादी का, 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 से 9 को खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एकबालिया जवावदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायाल ने उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर दिनांक 09.05.2013 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं उक्त दिनांक को ही अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जी. एस. मेहता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 विधान | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की उन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि हरजी के तीन पुत्र सजरे अनुसार थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र भेरा का निधन हो गया, जिसका पुत्र हवा थी थे एवं हवा जी के निधन के बाद उनका पुत्र उमा मौजूद है। इसी प्रकार हरजी के दूसरे पुत्र नोजा जी का पुत्र वादी पता हुआ तथा पता के फोत होने पर रेस्पोन्डेन्ट हकरा, पुना, समा उसकी औलादे हैं तथा हरजी के तीसरे पुत्र अम्बादा के दो पुत्र, जिसमें पन्ना बड़ा होकर उसके तीन पुत्र राजू, भीख व होमा अपीलान्ट संख्या 2, 3, 4 हैं अथा अम्बावा का छोटा पुत्र लोगर अपीलान्ट संख्या 1 है। इस प्रकार हरजी के तीन पुत्र होने के बावजूद वादी ने दो पुत्र नोजा व अम्बारा बताकर वाद पेश किया तथा भेरा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। वस्तु स्थिति यह है कि हरजी ने अपने जीवनकाल में ही नोजा को गांव मोरवल में जमीन दिलाकर वहां स्थापित कर दिया और वादग्रस्त आराजियात अम्बावा के पास रखी। हरजी भी मोरवल चले गये तथा भेरा व नोजा को वहां जमीने दे दी। वादग्रस्त समस्त आराजियात अम्बावा जी थी तथा उनके फोत होने के बाद अपीलान्टगण मालिक काबिज हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित

नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलान्टगण का विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर दिनांक 09.05.2013 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं उक्त दिनांक को ही आदेशिका में यह अंकित करते हुए कि वादी विभाजनक की दाद नहीं चाहते है। उक्त आधार पर विभाजन का वाद विड्रो करते हुए अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 239/2010 निर्णय एवं डिक्री 09.05.2013 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.08.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(प्रदीपसिंह सांगावत)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested